मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010—आषाढ़ 4, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 14 जून 2010

क्रमांक 1548-म.प्र.विनिआ-2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181(1) तथा 181(2) (एक्स) सहपठित धारा 50 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विभिन्न हितधारकों की कठिनाईयों को दूर किये जाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक 861, दिनांक 27-3-2004 द्वारा मूल रूप से जारी तथा दिनांक 16-4-2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में सत्रहवां संशोधन

(i) **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (सत्रहवां संशोधन) [क्रमांक एजी – (xvii), वर्ष 2010]" कहीं जाएगी ।**

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. **संहिता के अध्याय 3 में संशोधन :**

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में जिसे एतद् पश्चात् प्रधान संहिता कहा जाएगा, अध्याय 3 की **कण्डिका 3.4** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3.4 विभिन्न संविदा मांग हेतु सामान्यतः विद्युत आपूर्ति वोल्टेज निम्नानुसार होगी :

विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	उच्चतम संविदा मांग
230 वोल्ट	–	3 किलोवॉट
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	75 किलोवॉट (संयोजित भार 150 अश्व शक्ति तक, इसे सम्मिलित कर होगा)
11 केव्ही	50 केवीए	300 केवीए
33 केव्ही	100 केवीए	10,000 केवीए
132 केव्ही	5000 केवीए	50000 केवीए
220 केव्ही	40000 केवीए	

बशर्ते यह कि तकनीकी कारणों से, उपरोक्त न्यूनतम तथा उच्चतम संविदा मांग, आयोग के विशिष्ट अनुमोदन उपरान्त, अनुज्ञेय की जा सकेगी । तथापि, रेलवे के प्रकरण में उपरोक्त तालिका में दर्शाएं गए विभिन्न वोल्टेज के स्तरों पर, संविदा मांग की उच्चतम तथा न्यूनतम सीमाएं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता तथा व्यावहारिकता पर निर्भर परस्पर अनुबंध के आधार पर शिथिल की जा सकेंगी ।"

3. संहिता के अध्याय 7 में संशोधन :

प्रधान संहिता के अध्याय 7 की कण्डिका 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 तथा 7.14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"7.9 यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो अनुबंध प्रारंभ किये जाने की तिथि से प्रथम छः माह के अन्दर अथवा इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के अन्दर, इनमें से जो भी तिथि बाद में हो संविदा मांग में एक ही बार कमी को अनुज्ञेय किया जा सकेगा । संविदा मांग में कमी, संविदा मांग (जो आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित की गई हो) के 50% (पचास प्रतिशत) तक सीमित की जा सकेगी, बशर्ते यह कि कम की गई संविदा मांग इस संहिता के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम संविदा मांग से कम न होगी । एक बार भुगतान किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार लौटायें नहीं जाएंगे।

7.10 संविदा मांग कम किये जाने संबंधी आवेदन संविदा मांग में परिवर्तन किये जाने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । जहां स्थापना में फेरबदल निहित है, वहां उपभोक्ता द्वारा एक सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत किया जाएगा ।

7.11 संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न कदम उठाये जाएंगे :

(अ) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन में उल्लेख किये गये कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन की स्वीकृति प्रदान करेगा अन्यथा आवेदन पर विचार न किये जाने पर आवेदक को तद्नुसार आवेदन पर विचार न किये जाने संबंधी कारण दर्शाते हुए 15 दिवस की अवधि के भीतर लिखित में उसे सूचित करेगा ।

(ब) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लेखित 15 दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को लिखित नोटिस देकर उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा तथा तदोपरांत भी यदि उपभोक्ता को निर्णय की संसूचना 15 दिवस के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी ।

(स) संविदा मांग में कमी की जाना उक्त माह के उपरान्त माह की प्रथम, तिथि से प्रभावशील हो जाएगी जब संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी निर्णय आवेदक को संसूचित किया जाता है अथवा उसे मानी गई अनुमति प्रदान की जाती है ।

7.12 प्रारंभिक अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता अपने स्वयं के संयोजन की संविदा मांग इस संहिता के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक कम किये जाने बाबत् अधिकृत होगा तथा इस प्रकार किया गया अनुरोध समस्त औपचारिकताएं जैसे कि अनुबंध का निष्पादन, आदि पूर्ण किये जाने की तिथि से प्रभावशील हो जाएगा जिसे कि संविदा मांग किये जाने संबंधी आवेदन की प्राप्ति तिथि से 30 दिवस की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा । संविदा मांग में कमी किये जाने हेतु अनुवर्ती मांग संविदा मांग में की गई कमी की जाने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत की जा सकती है । संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुरोध को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उक्त संयोजन के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान किया जाना लंबित है ।

7.14 जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने को स्वीकृति प्रदाय कर दी जाती है अथवा मानी गई अनुमति स्वीकार कर ली जाती है तो एक संपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) का निष्पादन किया जाएगा ।"

4. **संहिता के अध्याय 4 में संशोधन :**

प्रधान संहिता के अध्याय 4 की कण्डिका 4.13 में, निम्न वाक्य को विलोपित किया जाएगा, अर्थात्: "आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।"

5. **संहिता के परिशिष्ट में संशोधन :**

प्रधान संहिता में परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 को संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.के. चतुर्वेदी)
आयोग सचिव

परिशिष्ट – 1

आवेदन प्रपत्र – उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार का फोटो

यहां चिपकाए

महोदय,

मैं/हम, मेरे/ हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :–

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक /संस्था का नाम : ---------------------------

(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/ न्यासी का नाम : ---------------------------

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए) जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन किया जाना है याजहाँ परिवर्तन प्रस्तावित है । : ---------------------------
: ---------------------------

दूरभाष क्रमांक : ---------------------------

(i) कारखाना/परिसर : ---------------------------

(ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित) : ---------------------------

(iii) निवास (डाक पता) : ---------------------------

ई–मेल : ---------------------------

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : ---------------------------

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : --------------------- (उच्च दाब/निम्न दाब)

सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : ———————————————————

निम्न दाब प्रदाय :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल / प्लॉट का क्षेत्रफल :———————————————

3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी(श्रेणियों की सूची संलग्न है) ————————————

4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य(उप श्रेणियों की सूची संलग्न है) ——————————

5. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थाई / अस्थाई
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थाई है तो अवधि लिखें :—दिनांक ———— से ———— तक

6. प्रस्तावित भार
(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए——————वॉट
(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)
(ब) अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता (घरेलू को छोड़कर) निम्न सारणी में विवरण भरें
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

उपकरण	विद्युत भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल विद्युत भार (वॉट में)

उच्च दाब प्रदाय :

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत संयोजन चाहिए (के.वी.) :—

11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.	220 के.वी.

8. विद्युत संयोजन का प्रकार : स्थायी / अस्थायी
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

यदि अस्थायी हो तो अवधि दर्शायें दिनांक —————— से —————— तक

9. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम
(अ) ——————————————
(ब) ——————————————
(स) ——————————————
(द) ——————————————

10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार
(अ) अनुमानित विविधकरण कारक : ——————————
(अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर)
(ब) कुल संबद्ध भार : ——————————

मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या संयोजन को विभिन्न चरणों में लिये जाने की आवश्यकता है : ____________

12. संविदा मांग के चरण : ____________

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है।	टिप्पणी

13. अधिष्ठापन का प्रयोजन : ____________

14. टैरिफ की चयनित श्रेणी : ____________
(टैरिफ आदेश के अनुसार)

15. उद्योग की उत्पादन क्षमता अथवा उत्पादन की संभावित तिथि : ____________

16. उद्योग की श्रेणी : लघु/ मध्यम/वृहद्
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हो उसे दर्शायें)

17. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति : ____________
(स्वामित्व का प्रमाण तथा वैधानिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करें)

18. अनुमानित दिनांक जब तक आर्थिक प्रबंध प्राप्त हो जाएगा । : ____________

19. क्या म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल से वैधानिक आवश्यकतानुसार,आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति (जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त की है । (यदि हां तो प्रति संलग्न करें) : ____________

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ/ नहीं

21. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है जहाँ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है । : हाँ/ नहीं

22. क्या ऐसी किसी संस्था, आवेदक जिसका स्वामी, साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रांतर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ / नहीं
(क्रमांक 20, 21 एवं 22 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)

23. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के विषय–वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

(स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जेस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।

(द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

दिनांक : (आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान :

नोट :– आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें :–

1. परिसर के स्वामित्व का प्रमाण ।
2. प्लांट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा। नक्शे का माप उच्च दाब संयोजन हेतु सामान्यतः 1 से.मी.= 1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा–पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है ।
5. साझीदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज ।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन)।
7. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पीएएन नंबर), यदि कोई हो । स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तद्नुसार सूचित करेगा ।
8. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टैंट ।
9. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची ।
10. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव ।
11. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन, जहां यह लागू हो ।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग, जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में) ।
13. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति, जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो । इसे औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा ।

Bhopal, 14th June, 2010

No. 1548 /MPERC/2010. In exercise of powers conferred by Section 181(1) and 181 (2) (x) read with Section 50 of the Electricity Act, 2003 and for removal of difficulties of various stakeholders, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh Electricity Supply Code,2004 which was originally issued vide notification No. 861 dated 27.03.2004 and published on 16.04.2004.

SEVENTEENTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2004.

1. **Short Title and Commencement : (i) This Code may be called the "Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2004 (Seventeenth Amendment) [No. AG-I(xvii) of 2010]."**

(ii) This Code shall come into force with effect from the date of its publications in the Official Gazette.

(iii) This Code shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment in Chapter 3 of the Code :**

In the Madhya Pradesh Electricity Supply Code,2004 hereinafter called the Principal Code, in the **Clause 3.4** of Chapter 3, the following shall be substituted, namely :

"3.4 The supply voltage for different contract demands shall normally be as follows:

Supply Voltage	Minimum contract demand	Maximum contract demand
230 volts	--	3 KW
400 volts	Above 2 KW	75 KW (connected load may be up to and including 150 HP)
11 KV	50 KVA	300 KVA
33 KV	100 KVA	10000 KVA
132 KV	5000 KVA	50000 KVA
220 KV	40000 KVA	---

Provided that on account of technical reasons, the deviation in respect of above minimum/ maximum contract demand, may be permitted after obtaining specific approval of the

Commission. However, in case of Railways, the maximum and minimum limits of contract demand on various voltage levels indicated in the above table may be relaxed by the Licensee on mutual agreement depending on the actual requirement and feasibility.\

3. Amendment in Chapter 7 of the Code :

In the Principal Code, clauses 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 and 7.14 of Chapter 7, the following shall be substituted as follows, namely :

"7.9 If the consumer so desires, one time reduction in the contract demand shall be allowed within the period of first six months from the date of commencement of agreement or three months from the date of notification of this amendment, whichever is later. The reduction in contract demand shall be limited to 50% of the contract demand (existing at the time of making the application) provided the reduced contract demand shall not be less than the minimum contract demand for a particular voltage class as specified in Chapter 3 of this Code. Supply Affording Charges and other applicable charges once paid shall not be refunded.

7.10 Application for reduction in Contract Demand shall be submitted in duplicate to the Licensee in the form prescribed for change in contract demand. A Test report from a competent Licensed Electrical Contractor shall be submitted by the consumer along with the application where alteration of installation is involved.

7.11 On receipt of application for reduction in contract demand, the Licensee shall take the following steps:

(a) The licensee shall consider the grounds stated in the application and allow the application or convey the reasons for non-consideration in writing within a period of 15 days.

(b) If the application is not decided by the Licensee within above-mentioned period of 15 days, the consumer may, by a written notice to the Licensee, draw its attention to the matter and if no decision is still communicated to him within the period of further 15 days, the permission of reduction of contract demand shall be deemed to have been granted.

(c) The reduction in contract demand shall take effect from the first day of the month following the month in which the decision for reduction in contract demand is communicated or deemed permission is granted.

7.12. After the expiry of the initial period of agreement, the consumer will be further entitled to reduce contract demand of his connection limited to the minimum contract demand for a particular voltage class as specified in Chapter 3 of this Code and such request when made to Licensee shall come into effect from the date of completion of formalities such as execution of agreement etc. which shall be completed within a period of 30 days from the date of receipt of the application for reduction in contract demand. Any subsequent request for reduction in contract demand can also be made to the Licensee after expiry of at least one year from the date of last reduction in contract demand. The request for reduction in contract demand shall not be refused by the Licensee on the ground of dues payable to the Licensee against that connection.

7.14 When reduction of contract demand is agreed to or deemed permission is granted, a supplementary agreement shall be executed.

3. **Amendment in Chapter 4 of the Code :**

In the Clause 4.13 of the Chapter 4 of the Principal Code, the following sentence shall be deleted, namely :

"The format of the application forms is provided in Annx 1 and 2."

4. **Amendment in Annexure to the Code :**

In the Principal Code, the Annex 1 and Annex 2 shall be substituted by as per Annexure-1 enclosed.

By order of the Commission

(P.K. Chaturvedi)

Commission Secretary

ANNEXURE -1

APPLICATION FORM – HIGH TENSION/LOW TENSION SERVICE CONNECTION

New Connection/Shifting of Premises/Change in Contract Demand/Change of Tariff Category/Change of Name of Consumer

(Please strike-off the purpose that is not applicable)

To,

Affix Pass Port Size Photo

Sir,

I/We request you to supply electricity to my/our premises. The requisite information is furnished below :-

1. Consumer –

(a) Name of the person/organization : ....

(b) Name of father/husband/Director/ Partner/Trustee : ....

(c) Full Address of the premises (with PIN) Where a new connection is hereby applied for/the existing connection is proposed to be shifted

Telephone No. : ....

Registered Office (alongwith Postal address) : ....

Residence (Postal address) : ....

E-mail : ....

Bank A/C No. and name of Bank (optional) : ....

Existing sanctioned load/contract Demand if any, : .... (HT/LT)

Service connection no. (For existing connection) : ....

LT Supply :

2. Built-up area of the premises/plot area : ....

3. Category of supply : ....

   (Category as provided in the list attached)

4. Purpose of supply : ....

   (Sub-category as provided in the list attached)

5. Type of Supply : Permanent/Temporary

   (Please strike-off type not applicable and tick the type applicable)

   If temporary specify period – From : .... To : ....

6. Proposed Load –

   (a) For domestic connection : .... Watts

   Please fill-up and attach format for determination of connected load.

   (b) For other categories please fill up the following (Attach duly signed separate list if required)

Item	Load per item (Watts)	No.	Total Load (Watts)

HT Supply

7. Voltage at which supply is required (KV) :

11 KV	33 KV	132 KV	220 KV

8. Type of supply : Temporary/Permanent

   (Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

   If temporary, specify period – From : --------------------------- To : ....

9. Steps taken by the consumer so far to set-up the installation

(a) ....

(b) ....

(c) ....

(d) ....

10. Basis of projection of Contract Demand required –

(a) Diversity factor assumed :..

(b) Total Connected Load :..

Attach List of Machines

11. Whether connection is required in phases :..

12. Phasing of contract demand (CD) :..

Sl.No.	CD required (KVA)	Tentative Date From which required	Remarks

13. Purpose of installation :..

14. Category of tariff opted for :..
(as per tariff order)

15. Production of Industry ? OR :..
Probable data of production

16. Category of Industry : SSI/MSI/LSI

(Please strike-off category not applicable and tick the category applicable)

17. Status of land acquisition :..

....

(Please provide proof of ownership and statutory clearances)

18. Expected date by which finance would be available : ....

19. Whether the requisite consent/NOC (where applicable according to the list of Pollution Control Board) has been obtained from M.P. State Prevention and Control of Water Pollution Boards, Bhopal as per statutory requirements
(If yes, a copy should be furnished) : ....

FOR ALL CONSUMERS

20. Any electricity dues outstanding in the licensee's area of operation in the consumer's name Yes/No
21. Any electricity dues outstanding for the premises for which connection applied for : Yes/No
22. Any electricity dues outstanding with the licensee against any firm with which the consumer is associated as an Owner, Partner, Director or Managing Director Yes/No
(For serial nos. 20, 21 & 22 if answer is 'Yes' in any case please provide details)
23. I/We hereby declare that –
    (a) The information provided in the form above is true to my knowledge.
    (b) I/We have read the Madhya Pradesh Electricity Supply Code and agree to abide by the condition mentioned therein.
    (c) I/We will deposit electricity dues, every month, as per the applicable electricity tariff and other charges.
    (d) I/We will own the responsibility of security and safety of the meter, cut-out and the installation thereafter.

Signature of the Consumer/Authorized Signatory

Date : ....

Place : ....

Note : The following documents shall be attached with the application form :-

1. Proof of ownership of the premises.
2. A map indicating therein in the proposed location of the plant/*office* and the point where supply is required. The map should normally be of the scale of 1 cm representing 1200 cm for HT connections.

3. Licensee/NOC from statutory authority, if required or a declaration by the applicant is that his connection does not fall under the requirement of NOC under any statute.
4. In case of a proprietary firm, an affidavit to be submitted stating that the applicant is the sole proprietor of the firm.
5. In case of partnership firm, a certified copy of partnership deed.
6. In case of Limited Company, Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation.
7. Proof of permanent residential address of the consumer and PAN Number, if any. If there is any change at a later date, the same shall be intimated by the consumer to the Licensee immediately.
8. Letter of intent for production/enhancement in production for industrial connection.
9. List of equipment proposed to be installed along with the expected load.
10. Resolution for authorization in respect of where connection required in name of firm, limited/Pvt Ltd firm, company etc.
11. Registration from Industries Department wherever applicable.
12. Extract of project report relevant to power and process requirement (in case of industries).
13. Copy of the relevant section of the current tariff order that provides details of the tariff category opted by the consumer and duly signed by him. This will be appended with agreement after completion of formalities.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.